

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2016/.....23..... /पटना, दिनांक.....08/07/17.....

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया, कैमूर(भभुआ), जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, वैशाली, सारण, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, प० चम्पारण, कटिहार एवं मधेपुरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के वहन हेतु मुख्य शीर्ष-3454 के उपशीर्ष-0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अन्तर्गत कुल कुल ₹1,30,00,200/- (एक करोड़ तीस लाख दो सौ) रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040001 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 25 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572/वी० दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

बजट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहायक निदेशक नोडल पदाधिकारी वरीय संयुक्त निदेशक विश्वासभाजन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक 23/पटना, दिनांक 08/07/17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.2.17
निदेशक

ज्ञापांक 23/पटना, दिनांक 08/07/17

प्रतिलिपि: 1. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.2.17
निदेशक

ज्ञापांक 23/पटना, दिनांक 08/07/17

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)
2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

1.2.17
निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0001- प्रबन्ध स्तर पर सांख्यिकी संन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- 01-01	06-01	11-01	28-01	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भता	मकान किराया भता	परिवहन भता	चिकित्सा भता	अन्य भता	वेतन एवं भते	चिकित्सा प्रतिपूति	यात्रा व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	
1	जिला सांख्यिकी कार्यालय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गया	51000	26690	-	-	-	-	77690	-	-	-	77690
2	कैमूर (भभुआ)	257380	339716	-	-	3600	-	600696	-	-	-	600696
3	जहानाबाद	440000	604200	19500	-	2400	-	1066100	-	-	-	1066100
4	अरबल	-	9812	-	-	-	-	9812	-	-	-	9812
5	नवादा	8900	71109	-	-	200	-	80209	-	-	-	80209
6	औरंगाबाद	264120	363638	26412	-	3200	-	657370	-	-	-	657370
7	भोजपुर	27465	50793	31851	-	2260	-	112369	20000	-	-	132369
8	मूंगेर	701580	902806	37923	-	6600	-	1648909	-	-	-	1648909
9	जमुई	399920	477112	-	-	4716	-	881748	-	-	-	881748
10	खगड़िया	90000	110500	-	-	-	-	200500	-	-	-	200500
11	मुजफ्फरपुर	150680	195412	-	-	2000	-	348092	-	-	-	348092
12	सीतामढ़ी	162354	200187	2805	-	2600	-	367946	-	-	-	367946
13	समस्तीपुर	153200	224224	15320	-	5800	4800	403344	-	-	-	403344
14	शिवहर	138120	186008	11084	-	2800	-	338012	-	-	-	338012
15	वैशाली	124880	143462	12488	-	1600	-	282430	-	-	-	282430
16	सारण	1160302	1549612	80419	-	12200	-	2802533	-	-	-	2802533
17	सुपौल	12380	26724	-	-	-	-	39104	-	-	-	39104
18	अररिया	4200	39642	420	-	-	-	44262	-	-	-	44262
19	पूर्णािया	570430	776310	26329	-	-	-	1373069	-	-	-	1373069
20	गोपालगंज	191970	209415	-	-	2600	-	403985	-	-	-	403985

(Handwritten signature)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- केतन एवं भत्ते	06-01	11-01	28-01	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	मधुबनी	37480	103882	-	-	400	-	141762	-	-	-	141762
22	दरभंगा	-	98310	-	-	1000	-	99310	-	-	-	99310
23	प० चम्पारण	388880	524481	33508	-	2600	-	949469	-	-	-	949469
24	कटिहार	4726	34122	-	-	200	-	39048	-	-	-	39048
25	मधेपुरा	12431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12431
कुल योग:-		5352398	7268167	298059	0	56776	4800	12980200	20000	0	0	13000200

(एक करोड़ तीस लाख दो सौ रुपये) मात्र।

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

नोडल पदाधिकारी

वरीय संयुक्त निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक